बिहार विधान सभा में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न	
श्री डॉ0 दाउद अली, स0वि0स0 द्वारा दिनांक –26.12.2014 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–पुन–08 के उत्तर के संबंध में क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि	**श्री नरेन्द्र नारायण यादव,** प्राधिकृत मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना ।
प्रश्न	**उत्तर**
(1) क्या यह बात सही है कि अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के ज्ञापांक –359 दिनांक –29.01.2014 द्वारा श्री पिन्टु कुमार, पिता–सुरेन्द्र कुशवाहा, ग्राम + पो0–सलसला, प्रखण्ड–नावानगर, जिला–बक्सर तथा विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के ज्ञापांक –3482 दिनांक –14.08.2013 द्वारा कैशर आलम, पिता–स्व0 अनवर अली, ग्राम + पो0–अरियाव, प्रखण्ड – डुमरॉव, जिला–बक्सर के आकस्मिक मृत्यु पर अनुदान हेतु क्रमशः जिला पदाधिकारी, बक्सर एवं सचिव, ऊर्जा विभाग को यथोचित कार्रवाई करने का निदेश दिया परन्तु दिनांक –03.12.2014 तक कोई कार्रवाई नहीं हुई ।	आपदा प्रबंधन विभाग को पिंटू कुमार की मृत्यु दि0–30.07.2013 को सर्पदंश से होने की जानकारी देकर अनुग्रह अनुदान भुगतान का अनुरोध किया गया था। तदनुसार आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक –4187/आ0प्र0 दि0–24.11.2014 के द्वारा नियमानुसार कार्रवाई करने का निदेश दिया गया था। जिला पदाधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार पिंटू कुमार की मृत्यु बाढ़ के दौरान सर्प दंश से नहीं हुई है और न ही नावानगर अंचल में बाढ़ की स्थिति थी । अतः अनुग्रह अनुदान देय नहीं है । कैशर आलम की मृत्यु विद्युत स्पर्शाघात से हुई है, जिसमें आपदा प्रबंधन विभाग से अनुदान का प्रावधान नहीं है। आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक –3482 दि0–14.08.13 द्वारा सचिव ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना से जॉचोपरांत अग्रेतर कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था । प्रतिवेदन अप्राप्त है । पुनः स्मार दिया गया है ।
(2) यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपरोक्त व्यक्तियों के आकस्मिक मृत्यु पर मिलने वाले अनुदान का भुगतान कराने का विचार रखती है, हॉ तो कबतक, नही तो क्यों?	उपर्युक्त खण्ड में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक–04/वि0स0ता0प्र0–69/2014/................................/आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को उनके ज्ञापांक 4034 दिनांक–19.12.2014 के कम में कुल 05 (पॉच) प्रतियों में/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

(सुनील कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–04/वि0स0ता0प्र0–69/2014/ 518 /आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 6/2/15

प्रतिलिपि–सुश्री कविता कुमारी, आई0टी0 मैनेजर/श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह, कम्प्यूटर ऑपरेटर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को इसे विभागीय बेवसाईट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव

D:\Hall Wipro Photostat\Vidhai 27-6-14 31-7-14\Q an 18 12 14.docx